सं. 4/15/2007-डीजीएडी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

दिनांक 22 अक्तूबर, 2007

<u>व्यापार नोटिस सं. 1/2007</u>

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 5 और 7 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उप नियम 6(6) में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच से संबंधित सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को अनुमति प्रदान कर सकते हैं लेकिन ऐसी मौखिक सूचना पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत की जाए।

3. व्यापार और उद्यग को यह परामर्श दिया जाता है कि सार्वजनिक सुनवाई के बाद लिखित में अनुरोध प्रस्तुत करते समय और उसका प्रत्युत्तर दाखिल करते समय निम्नलिखित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिएः

   (i) वह प्रत्युत्तर लिखित अनुरोध की उसी पैरा-वार टिप्पणियों के रूप में होना चाहिए।

   (ii) प्रत्युत्तर की अवस्था में कोई नया मामला/तर्क नहीं उठाया जाएगा। तथापि, पहले प्रस्तुत किए जा चुके तथ्यों के आधार पर नया तर्क अथवा विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उस विषय वस्तु पर आगे तर्क दिया जा सके।

(iii) सभी अनुरोध और प्रत्युत्तर नियम 7 के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। हितबद्ध पक्षकार विवरणों के पैरा के अनुरूप, लिखित अनुरोध अथवा प्रत्युत्तर में गोपनीय सूचना, यदि कोई हो, का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करेंगे। अगोपनीय पाठ पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए जिससे कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को समुचित रूप से समझा जा सके।

4. सामान्यतः सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रदान किए गए समय के समाप्त होने के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध/सूचना प्रस्तुत नहीं की जाएगी। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुमति से अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी के पत्र के उत्तर में ऐसी सूचना/अनुरोध, जो स्पष्टीकरण की प्रकृति के हों, प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(नीरज कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में

सभी संबंधित
(सूची के अनुसार)